छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़

शंकर नगर, रायपुर

शिकायत प्रकरण क्रमांक 411/2007

1. श्री प्रमोद यादव, — शिकायतकर्ता
10/27, शिक्षक नगर,
दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* — अनावेदक
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
दुर्ग (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

(दिनांक 04 नवंबर, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता श्री प्रमोद यादव द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दुर्ग के समक्ष दिनांक 13.04.2007 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर शिकायतकर्ता को निरीक्षण के लिए दिनांक 08.06.2007 को बुलाया गया, किन्तु उन्हें निरीक्षण नहीं कराया गया, उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 12.06.2007 को यह शिकायत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा सूचना के बाद भी अनावेदक अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही की जाकर शिकायतकर्ता के तर्क सुने गये। प्रकरण में दिनांक 06.12.2008 को आयोग द्वारा 15 दिवस में निःशुल्क निरीक्षण कराने के निर्देश दिये गये, किन्तु उसके बाद भी निरीक्षण नहीं कराया गया, अतः विलंब के लिए जन सूचना अधिकारी को पांच हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। प्रकरण में जन सूचना अधिकारी द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित हुये। अतः उपरोक्त स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि जन सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, दुर्ग का रवैया सूचना का अधिकार के आवेदनों के प्रति काफी लापरवाहीपूर्ण भरा और गैर–जिम्मेदाराना रहा है, यहॉ तक कि उन्होंने आयोग द्वारा जारी शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर देना भी आवश्यक नहीं समझा और न ही व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित हुये। अतः जन सूचना अधिकारी को विलंब के लिए दोषी पाया जाता है और उन पर अधिनियम की धारा–20(1) के अन्तर्गत पॉच हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है। साथ ही अब यह निर्देश दिये जाते हैं कि 15 दिवस के अन्दर शिकायतकर्ता को चाही गई जानकारी का निःशुल्क निरीक्षण कराया जावे और आवेदन पत्र के बिन्दु क्रमांक–1, 2 एवं 3 में चाही गई जानकारी को निःशुल्क प्रदान की जावे। साथ ही प्रकरण में विलंब के कारण शिकायतकर्ता को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि 250/– रूपये प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं। साथ ही इस आदेश की प्रति संचालक, स्वास्थ्य सेवायें को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, दुर्ग को भविष्य हेतु आवश्यक निर्देश देने हेतु अग्रेषित की जावे।

3/ उपरोक्त निर्देशों के उक्त शिकायत प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com